भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

05.08.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2916 का उत्तर

वारंगल ज़िले में आरओबी, आरयूबी और लेवल क्रॉसिंग

2916. डॉ. कडियम काव्य:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान वारंगल जिले में प्रत्येक परियोजना का स्थान, स्वीकृत लागत और वित्तपोषण पैटर्न सहित स्वीकृत रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी), रेलवे अंडर ब्रिज (आरयूबी) और रेल समपार समाप्त करने के कार्यों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) पूरे किए गए कार्य, निष्पादन के अधीन परियोजनाएं, किया गया व्यय और उनके पूरा होने की संभावित तिथि सहित प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) और (ख): भारतीय रेल में समपारों (एलसी) के स्थान पर ऊपरी/निचले सड़क पुलों (आरओबी/आरयूबी) के कार्यों की स्वीकृति प्रदान करना सतत और गतिशील प्रक्रिया है। ऐसे कार्यों को गाड़ी परिचालन में संरक्षा, गाड़ियों की गतिशीलता और सड़क उपयोगकर्ताओं पर इसके प्रभाव तथा व्यवहार्यता आदि के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित करके शुरू किया जाता है।

वर्ष 2004-14 की तुलना में वर्ष 2014-26 (मई 2026 तक) की अवधि के दौरान भारतीय रेल में निर्मित किए गए ऊपरी/निचले सड़क पुलों (आरओबी/आरयूबी) की संख्या निम्नानुसार है:

अवधि	निर्मित किए गए आरओबी/आरयूबी
2004-14	4,148 अदद
2014-26 (मई 2026 तक)	14,451 अदद (तेलंगाना राज्य में 520 अदद)

दिनांक 01.06.2026 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रेल में लगभग 1,17,492 करोड़ रु. की लागत से 4,993 अदद ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण कार्यों को स्वीकृत किया गया है, जिनमें तेलंगाना राज्य में लगभग 4883 करोड़ रु. की लागत से 118 अदद ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण कार्य शामिल हैं, जो योजना और निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं।

दिनांक 01.06.2026 की स्थिति के अनुसार, वरंगल जिले में 3 उपरी सड़क पुल (आरओबी), 7 निचले सड़क पुल (आरयूबी) तथा 8 समपार हैं। वरंगल जिले में 4 उपरी सड़क पुल (आरओबी)/निचले सड़क पुल (आरयूबी) का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया हैं। इनका विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	समपार विवरण	आरओबी/ आरयूबी	कार्य की लागत (लगभग ₹ करोड़ में)	टिप्पणी
1	वरंगल-चिंतलपल्ली के बीच 381/28-30 कि.मी. पर स्थित समपार संख्या 64	आरओबी	77	निविदा प्रदान कर दी गई है।
2	एलगूरू-नेकोंडा के मध्य कि.मी. 397/24-26 पर स्थित समपार संख्या 69/एम	आरओबी	100	सामान्य व्यवस्था आरेख (जीएडी) तथा प्राक्कलन तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया गया है।
3	नेकोंडा-इंटिकन्ने के बीच 412/23-25 कि.मी. पर स्थित समपार संख्या 74	आरयूबी	8	संविदा समाप्त कर दी गई थी, जिसके उपरांत न्यायालय के आदेशानुसार कार्य रुका हुआ है।
4	एलगूरू-नेकोंडा के मध्य कि.मी. 402/12-14 पर स्थित समपार संख्या 70	आरयूबी	12	रेल के हिस्से का कार्य पूरा कर लिया गया है। पहुँच मार्ग का कार्य शुरू कर दिया गया है।

इसके अलावा, वरंगल जिले में 3 समपारों (काज़ीपेट-वरंगल के बीच 369/14-16 कि.मी. पर स्थित समपार संख्या 60, एलगूरू-नेकोंडा के बीच 380/20-22 कि.मी. पर स्थित समपार संख्या 66 तथा एलगूरू - नेकोंडा के बीच 391/4-6 कि.मी. पर स्थित समपार संख्या 67) पर ऊपरी सड़क पुल का निर्माण कार्य राज्य सरकार द्वारा अपनी लागत पर शुरू कर दिया गया है।

ऊपरी/निचले सड़क पुलों के कार्यों को पूरा करना और कमीशनिंग करना कई कारकों पर निर्भर करता है जैसे समपार समाप्त करने के लिए सहमति देने में राज्य सरकारों का सहयोग, पहुंच मार्ग संरेखण का निर्धारण, सामान्य व्यवस्था आरेख (जीएडी) की स्वीकृति, भूमि अधिग्रहण, अतिक्रमण हटाना, अतिलंघनकारी जनोपयोगी सेवाओं को स्थानांतरित करना, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक मंजूरी, परियोजना/कार्य स्थलों के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों आदि के कारण किसी विशिष्ट परियोजना/क्षेत्र के लिए एक वर्ष में कार्य अनुकूल अवधि आदि। ये सभी कारक परियोजनाओं/निर्माण कार्यों के समापन समय को प्रभावित करते हैं।

रेलवे ने ऊपरि सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों के निमार्ण कार्यों की प्रगति में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

i. **सामान्य व्यवस्था आरेख (जीएडी) को अंतिम रूप देने से पहले संबंधित राज्य सरकार/सड़क स्वामित्व प्राधिकरण के साथ संयुक्त सर्वेक्षण को पूरा किया गया है ताकि सुचारू निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके।**
ii. **ऊपरी/निचले सड़क पुलों के कार्यों से संबंधित विभिन्न मुद्दों का समाधान करने के लिए रेलवे और राज्य सरकार के अधिकारियों की आवधिक बैठकें आयोजित की जाती हैं।**
iii. **डिज़ाइन अनुमोदन के दौरान विलंब से बचने के लिए रेलवे के भाग के कार्यों पर सड़क के स्पैन, विषमतलीयता और चौड़ाई के विभिन्न संयोजनों के लिए अधिसंरचना और उपसंरचना आरेखों का मानकीकरण किया गया है। इसे एक सार संग्रह के रूप में जारी किया गया है, जिसे त्वरित योजना बनाने के लिए रेल लाइनों पर ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण हेतु प्रत्यक्ष रूप से अपनाया जा सकता है।**
